

10/10/20

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण हाजिर कहे।  
वकील उत्तिवासी उप। वकील वादीगण को  
रुक-रुक कर आवाजें लगाई गयीं।  
हाजिर नहीं है। स्वयं वादीगण भी हाजिर  
नहीं हैं। लिहाजा वाद-पत्र वादीगण वकील  
वादीगण की अफ हाजरी-अफ पत्रों  
में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजदारी  
में शुमार होकर गारिबल फलत हो।

gms

उप खर्च अधिकारी (सिपाही)  
रायसिंहनगर

